

डॉ. भीमराव अम्बेडकर: राष्ट्र और राष्ट्रवाद

डॉ. गोपाल सिंह

सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान)

राजकीय महा विद्यालय, शिवगंज-राज

राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो देश के प्रति प्रेम व भक्ति की भावना पर आधारित है। संसार में जितने भी राष्ट्र होंगे राष्ट्रवाद की भावनाएं भी उतनी ही अधिक होती है। मानव इतिहास को देखने पर स्पष्टतः पता चलता है कि राष्ट्रवाद एक बल अथवा शक्ति के रूप में विद्यमान रहा है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि संसार में अनेक छोटे-छोटे देश जो गुलामी की जंजीर में बंधे थे आज अपनी राष्ट्र की भावनाओं को समझने लगे हैं। आज राष्ट्रीय सम्मान व एकता को प्रमुख स्थान मिल रहा है। अब वे उन साम्राज्यवादियों का डट कर मुकाबला करते हैं, जिन्होंने उनका शोषण किया व उन्हें गुलामी की जंजीरों में इतने समय तक बांधे रखा। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार लोगों की सांस्कृतिक एवं एकात्मिकता की भावना होती है।

सिडने ब्रूक्स, नार्मन एंजिल आदि ने राष्ट्रवाद को मानवता का शत्रु बताया है क्योंकि पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हिंसात्मक तत्वों को लेकर हुआ। फलस्वरूप उन वर्गों का दमन हुआ जो कि इन तत्वों का साहसपूर्वक सामना करने की चेष्टा रखते थे। राबर्टसन ने तो यहां तक कहा कि राष्ट्रवाद एक अबोधिक भावना है और मानवता

का इसमें ही भला है कि वह शीघ्र इससे छुटकारा पाए। इसमें सदेह नहीं कि इन आलोचकों ने राष्ट्रवाद के भयानक परिणामों का अवलोकन किया है और इस नतीजे पर पहुंचे है कि यह मानवता के लिए हानिकारक है लेकिन यह विचारधारा पूर्णतया सही नहीं है क्योंकि आलोचक यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रवाद के पीछे मानव तत्व भी है, जिसकी अपनी भावनाएं होती हैं, जिन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। यह ठीक है कि राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ नेताओं ने शांतिप्रिय पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया। लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हो पाया। सामान्य रूप से भारतीय नेताओं ने शांतिपूर्ण तत्वों को बढ़ावा दिया। तिलक, गांधी, पटेल, नेहरू तथा अम्बेडकर जैसे नेताओं ने लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत किया, जिसमें उन्होंने शांति व अहिंसा को अपना हथियार बनाया न कि हिंसा को और अंतिम में उन्हें देश की स्वतंत्रता मिल ही गई।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, राष्ट्रवाद को किसी भी रूप में परखा जाए और कोई भी इसे त्यागने का प्रयास करें, लेकिन राष्ट्रवाद ऐसा तथ्य बन चुका है कि इसे मानव समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वयं कहा है— “राष्ट्रवाद एक ऐसा तथ्य है, जिसको न तो भूलाया जा सकता है और न ही अस्वीकार किया जा सकता है। राष्ट्रवाद की भावना को अबोधिक कहना उचित नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना में एक ऐसा गत्यात्मक बल है, जिससे अनेक साम्राज्यों का तख्ता पलट किया जा सकता है।”¹

राष्ट्रवाद की भावना युद्धों की और ले जा सकती है। चाहे मनुष्य इसके खिलाफ हो। यह बात भी कहीं न कहीं सही साबित होती है किन्तु इसे दिखावा मात्र कहना उचित नहीं है क्योंकि इसकी प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी है। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रवाद को मानव जीवन में एक शक्ति के रूप में मानते हैं।

राष्ट्रवादकी भावना को दोनों ही पक्षों से प्रकट किया जा सकता है। इसके अच्छे पक्ष भी हैं व बुरे पक्ष भी। राष्ट्रवाद की भावना विघटनकारी तत्व के रूप में भी विद्यमान रही है। इस भावना ने बहुत से राष्ट्रों का अस्तित्व समाप्त किया है तो नवीन राष्ट्रों की स्थापना भी की है। इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना का कार्य राष्ट्रों को मिटाना भी है और नवीन राष्ट्रों का निर्माण करना भी है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार इतना सीखना ही पर्याप्त नहीं है कि राष्ट्रवाद एक विघटनकारी शक्ति है। इसके दोनों पक्षों का अध्ययन करना चाहिए।²

डॉ. अम्बेडकर ने चैकोस्लावचाकिया का भी उदाहरण देते हुए कहा कि चैक और स्लोवाक लोग एक ही थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में स्लोवाकियों ने अपने को नवीन राष्ट्र घोषित कर दिया। दोनों पक्षों में कड़ा एवं तीखा संघर्ष भी हुआ। किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि कौन से ढंग अपनाए गए। स्लोवाकियों में राष्ट्रवाद की भावनाएं एक तरफ थी वह अपने कार्य सिद्ध के लिए कुछ भी कर सकते थे और तो और वे जर्मन लोगों की सहायता मांगने तक में नहीं झिझके। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने पर कुछ भी घटित हो सकता है। उसके समक्ष न क्षेत्रीय मित्रता टिकती है न धार्मिक एकता ही काम

करती है। इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना के दोनों पक्ष होते हैं, अच्छा भी बुरा भी किन्तु राष्ट्रवाद की भावना से युद्ध भी हो सकते हैं और आन्दोलन भी साथ ही साथ एक नए राष्ट्र का भी उदय हो सकता है।³

राष्ट्रीय भावना की परिभाषा— (राष्ट्रीय भावना का अर्थ)

अम्बेडकर के अनुसार, अपनत्व की चेतना का भाव यह है कि अपनों के साथ दूसरों से पृथक रहने की भावना है। उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार बताया, “यह वह संगठित स्थाई भाव है जो जिन लोगों में पाया जाता है वे यह अनुभव करते हैं कि वे सगे भाई—बहन हैं। एक ओर अपनों के लिए यह भाई—चारे की भावना है, लेकिन दूसरी ओर जो अपने नहीं हैं उनके लिए भाईचारे की भावना नहीं है।”⁴

राष्ट्रीय भावना में इतनी शक्ति होती है कि यह सभी प्रकार के भेदभावों को जो आर्थिक संघर्ष या सामाजिक स्तरों से उत्पन्न होते हैं दबा कर रख देती है, लेकिन दूसरी ओर उन लोगों से पृथक कर देती है, जो अपने नहीं होते।⁵

इसका तात्पर्य यह नहीं कि डॉ. अम्बेडकर संकुचित राष्ट्रवाद की सीमाओं में ही रहे। कट्टर राष्ट्रवादी लोग शत्रुता की भावना का प्रसार कर सकते हैं लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवार से जाति—घृणा, शत्रुता की भावना तथा संकुचित मनोवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। वे सच्चे राष्ट्रवादी नेता व स्वतंत्र विचारक थे। उनका मानना था कि भेदभाव या संकुचित मनोवृत्ति किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति या समाज

अन्य लोगों से पृथक नहीं रह सकता। अतः अन्य लोगों से मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे भंयकर परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में ऐसा किए बिना भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रेम न्याय तथा शांति की भावनाओं का प्रसार नहीं कर सकता है।

सच्चे राष्ट्रवाद की ओर—

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रवाद को एक शक्ति रूप से मानते थे। उनकी राष्ट्रीय भावनाएं बड़ी दृढ़ व गंभीर थीं। डॉ. अम्बेडकर पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रीय सम्मान एवं सामाजिक एकता उनकी राष्ट्रीय भावनाओं के मूलाधार थे वे जन जागृति और जन सेवा के महान प्रेरक व प्रतीक थे।⁶

डॉ. अम्बेडकर में राष्ट्रवाद की भावना का उदय उन लोगों में आस्था के साथ हुआ जो निर्धन, शोषित व अछूत थे। वे उन सभी लोगों के लिए समानता व नागरिक अधिकार चाहते थे, जिनको उनसे वंचित कर रखा था। हिन्दू समाज में करोड़ों लोगों को मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें नरकीय जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया और सदियों तक उन्हें दासता की जंजीरों में बंध कर रहना पड़ा। प्राचीन हिन्दू सामाजिक जीवन अधिकारों पर नहीं वरन कर्तव्यों की महत्ता पर निर्भर था। स्वतंत्रता प्रदान करने के समय गोलमेज सभाओं में डॉ. अम्बेडकर शोषित मुख्यतः अछूतों के नेता के रूप में प्रकट हुए। उनका मानना था कि छुआछूत ने भेदभाव की भावना को ही बढ़ावा नहीं दिया वरन् बहुत से वर्गों की समानता, नागरिक

अधिकारों तथा जीवन की अन्य बहुमूल्य बातों से वंचित रखा, जिनके आधार पर एक सच्चे मानव-जीवन का निर्माण किया जाता है।⁷

डॉ. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम इन अधिकारों की मांग की व इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रभावित करने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर ने इन लोगों में एकात्मियता प्रदर्शित की जिन्होंने अपने आप को उपेक्षित समझ कर निरुत्साहित कर रखा था। गोलमेज सभाओं में डॉ. अम्बेडकर ने यह बात स्पष्ट की कि भारत में रहने वाले अछूतों व शूद्रों की स्थिति क्या है। उन्हें किस प्रकार निम्न समझा जाता है। वे अपने ही देश में अछूत क्यों समझे जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर अपने देश से असीम प्रेम करते थे न कि उनका राष्ट्रवाद कोरी बातों से ओत-प्रोत था। उन्होंने यहां के निर्धन व अछूतों को देखा और उनके अधिकारों की मांग की। इसका अर्थ यह नहीं कि वे भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे अथवा ब्रिटिश राज्य के पक्षपाती थे। उन्हें तो ब्रिटिश राज्यों को भी उनकी गलतियों के लिए भी गलत ठहराया। अंग्रेज शासकों ने शूद्रों व अछूतों की उपेक्षा की। इस बात की भी कड़ी भर्त्सना की गई। अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों के साहस और विश्वास को खत्म कर दिया उनके जीवन को अल्पविराम ही लगा दिया। डॉ. अम्बेडकर मुख्यतः ब्रिटिश राज्य का अंत चाहते थे तथा वे भारत में आंतरिक शोषण को भी नहीं चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जातियों में स्त्रीय भावना है। अगर हम ऊपर की ओर उठते जाते हैं तो सम्मान की भावना बढ़ती जाती है तथा नीचे की ओर आएँ तो घृणा की भावना उत्पन्न होती जाती है। डॉ. अम्बेडकर का मानना था

कि सभी समान है और नेताओं और राजनीतिक दलों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शूद्रों व अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए अगर इनके साथ होने वाले भेदभाव पर अंकुश न लगाया तो ये लोग आंतरिक रूप से दासता के शिकार हो जाएंगे तथा इनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति केवल एक सपना बन कर रह जाएगी। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि इन अछूतों व शूद्रों को कुछ संरक्षण मिलना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना विकास कर सकें। ये भावना उनकी निजी न होकर सार्वजनिक भलाई के लिए थे। वे अछूतों व शूद्रों को भी अन्य लोगों की तरह समान अधिकार दिलाना चाहते थे। विदेशी राज्य व दमन के प्रति उन्होंने कहा कि इसमें दो बातें प्रबल हैं— प्रथम ब्रिटिश राज्य के शासकों में कुछ ऐसी भावनाएं थी कि वे यहां के निर्धन अछूत लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने यहां के वास्तविक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया। द्वितीय ब्रिटिश राज्य में कुछ अंश तक शासकों ने यह आवश्यक भी समझा कि बुराईयों का अंत किया जाए किन्तु उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। ब्रिटिश राज्य के कुछ शासकों ने यह अनुभव भी किया कि पूंजीपति लोग श्रमिकों का शोषण करते हैं तथा उन्हें उनके कार्य के अनुरूप वेतन नहीं देते हैं तथा वह शूद्र व अछूत लोग अन्याय का शिकार हो रहे हैं किन्तु वह इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि शक्तिशाली वर्ग कहीं उनके खिलाफ न हो जाए। उन्हें यह भय था कि यदि भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन किए जाएं तो ब्रिटिश राज्य के विरोध में बहुत से तत्व उठ खड़े होंगे।

अतः उन्होंने सामाजिक सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया। वे अपने ही शासन को कायम रखने की चिंता में व्यस्त रहे अन्यथा ये छुआछूत की भावना इतनी मजबूत नहीं होती।⁸

डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा मानववादी होते हुए भी राष्ट्रवादी है। उन्होंने जिन राष्ट्रीय भावनाओं का प्रदर्शन किया उनमें दो बातें मुख्य हैं। वह केवल बाह्य शासन से ही स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, इनके साथ-साथ वे भारत में रहने वाले करोड़ों अछूतों के लिए भी स्वतंत्रता चाहते थे जिनके लिए यह असम्भव बना दी गई थी। भारत एवं उसमें रहने वाले करोड़ों अछूतों की आजादी, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का उद्देश्य था। फिर भी डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्रविरोधी की उपाधि मिली जो कि नितांत गलत है एक सच्चे राष्ट्रवादी को राष्ट्रविरोधी घोषित करना न्यायोचित नहीं है। उनके अन्दर स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद की भावनाओं का बाहुल्य था। एक बार उन्होंने कहा, “हमें एक ऐसी सरकार कायम करनी चाहिए, जिसमें शासक लोग, यह जानते हुए भी कि कहां लोग आज्ञापालन करते हैं और कहां विरोध करते हैं, उन सामाजिक एवं आर्थिक परम्पराओं में सुधार करने में भयभीत न हों जो न्याय एवं अच्छे शासन के लिए आवश्यक हैं। ब्रिटिश सरकार ऐसा करने में कभी भी समर्थ नहीं हो पाएगी। केवल वही सरकार जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है, ऐसा करने में समर्थ हो सकेगी।⁹

साम्प्रदायिकता को डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद नहीं माना। राष्ट्रवाद का सीधा अर्थ है लोगों में एकता की भावना। किसी भी सच्चे राष्ट्रवादी के लिए, यह आवश्यक है कि वह अपने

देश में रहने वाले निर्धन लोगों का प्रेरणा स्रोत बने। एक अच्छे राष्ट्रवादी को उन अछूतों व शूद्रों की हालत में सुधार के प्रयास करने चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि अम्बेडकर दोषपूर्ण हिन्दू सामाजिक ढोंचे के विरुद्ध थे लेकिन इसका यह अर्थ निकालना कि वे राष्ट्र विरोधी थे, बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है "मैं जानता हूँ कि मेरे देश में मेरा स्थान अच्छी तरह नहीं समझा गया है। लोगों ने उसे गलत समझा है। मैं कहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थों और देश के प्रति कर्तव्यों में जो कुछ कलह रहा है, उसमें मैंने सदैव देश के प्रति कर्तव्य भावना को ही सर्वोच्च माना है। मैंने कभी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयास नहीं किया। जहां तक देश की मांगों का प्रश्न है, मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ।¹⁰

विदेशी राज्य की जड़े हमारे देश में बहुत दृढ़ थी और अम्बेडकर ने सदा ही उन जड़ों को कमजोर करने के प्रयास किए तथा डटकर उनका विरोध किया। उनकी राष्ट्रीय भावनाएं किसी भी विदेशी राज्य के विरुद्ध नहीं थी। विदेश राज्य के प्रति संघर्ष एवं शोषितों के प्रति प्रेम ने उनके अन्दर सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण किया। यही कारण है कि उन्होंने आजादी प्राप्त करने में अच्छा योगदान दिया और अपने देश में जिन लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया था उन्हें अधिकार दिलाए।¹¹

डॉ. अम्बेडकर के अन्दर राष्ट्रीय प्रेरणा का उदय देश और उसमें रहने वाले लोगों में आस्था के कारण हुआ। वे सम्मान व शांति के साथ आजादी प्राप्त करना चाहते थे। उनका यही तर्क था कि यदि किसी गुलाम देश को आजादी की आवश्यकता है। सम्मान और आदर

चाहिए, तो उसमें रहने वाले दासों के समान लोगों के लिए भी आजादी, सम्मान एवं मानव अधिकार आवश्यक है।

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद—

संसार में, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो छिपे हुए रूप में शताब्दियों तक रहे और रह भी रहे हैं। उनके सदस्यों में अपनापन होता है किन्तु वे नहीं जानते कि वे राष्ट्र हैं। कुछ लोग राष्ट्र के रूप में रहते हुए भी राष्ट्रवाद की भावना के बिना जीवन यापन करते हैं।¹²

डॉ. अम्बेडकर का माना है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में अंतर है। वे राष्ट्रीयता को अपनत्व की चेतना, जातीय स्थिति की भावना मानते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता व राष्ट्रवाद बिल्कुल भिन्न-भिन्न बातें नहीं हैं। उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। यह सत्य है कि राष्ट्रवाद के बिना राष्ट्रीयता की भावना न हो और यह भी आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीयता की भावना के राष्ट्रवाद नहीं हो सकता।¹³

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि से राष्ट्रीयता केवल वहां पर राष्ट्रवाद को जन्म दे सकती है जहां दो बातें उपस्थित हों।

1. लोगों में एक राष्ट्र के रूप में रहने की इच्छा का जागरण होना चाहिए।
2. एक भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए जिसे राष्ट्रवाद अपने अधीन करके एक राज्य की स्थापना कर सकें।

भौगोलिक क्षेत्र के बिना, राष्ट्रवाद उस आत्मा के समान है जो नए शरीर की तलाश में घूमती रहती है और मिलने पर वहीं दम तोड़ देती है।¹⁴

राष्ट्रीय एकता को स्थायी बनाने के लिए भाइचारे की भावना होना भी आवश्यक है तथा सामाजिक एकता भी। इसी से राष्ट्रवाद की भावनाएं मजबूत होती हैं। उन्होंने कहा बिना सामाजिक एकता के राजनैतिक एकता उस मौसमी पौधे के समान होती है जो मामूली हवा के झोंके से जड़ से उखड़ जाएगा। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रवाद में अटूट आस्था रखते थे, जिसके लिए उन्होंने सदैव सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने एक स्थान पर लिखा: “भारत एक राज्य हो सकता है, लेकिन राज्य होना, राष्ट्र का होना नहीं समझा जाता है और एक राज्य जो राष्ट्र नहीं है वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता।”

मिश्रित राज्यों में उतना भाय बाह्य आक्रमण का नहीं जितना आंतरिक उपद्रवों का है। विभिन्न जातियों व समुदायों को एक सूत्र में बांधने का केवल एक ही उपाय है भाइचारे व सामाजिक एकता की भावना। राष्ट्रवाद को अन्याय या दमन का रूप धारण नहीं करना चाहिए। राजनैतिक उदण्डता के विरुद्ध डॉ. अम्बेडकर राजनैतिक क्षेत्र में उदण्डता के कट्टर विरोधी थे। राजनैतिक लोग सामाजिक संघर्षों तथा झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग पहले तो उपद्रव करने की योजना बनाते हैं व फिर उसे व्यावहारिक रूप देते हैं। इसके कारण भारत में अनेक उपद्रव हुए हैं, जिसमें बेगुनाह लोगों के जान-मान की हानि हुई। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने बर्बादी तथा अन्याय के ढंग अपनाए। इसीलिए उन्होंने

राजनैतिक उद्दण्डता को निम्न कोटि का बताया। राजनैतिक संगठनों में उद्दण्डता की प्रवृत्ति के कारण इससे विघटनकारी तत्व उत्पन्न होते हैं। लोगों में एकता का भाव तथा भाइचारे की भवना नहीं रहती तथा नैतिकता का हास होता है। लोगों में भय तथा संकीर्णता का दौर बना रहता है। अन्याय के अतिरिक्त लोगों में भय की भावना आ जाती है। वे अपने विरोधियों को समाप्त करवाने से नहीं चुकते, जिसके लिए गलत तरीको को अपनाते हैं, जिससे विरोधियों के साथ-साथ बेगुनाह लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार उद्दण्डता में हर्दें पार कर दी जाती हैं।

एक अच्छे राजनैतिक वातावरण के लिए, यह आवश्यक है कि लोग इन बातों का परित्याग करें। आज भी कुछ लोग इन दंगों को अपनाने का प्रयास करते हैं। नतीजा यह होता है कि हजारों बच्चे एवं स्त्रियां मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः लोगों को समझना चाहिए कि उद्दण्डता किसी समस्या का हल नहीं है। अतः शांति, न्याय व प्रेम से हर समस्या का समाधान करना चाहिए।

राष्ट्र और समुदाय—

बहुत से राजनीतिक विचारक हैं, जो राष्ट्र और समुदाय को पृथक-पृथक संस्थाएं नहीं मानते हैं। लेकिन डॉ. अम्बेडकर इन दोनों में अंतर करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कुछ लोग यह जानना जरूरी नहीं समझते कि कौन शासन करता है और कौन शासित है।

राष्ट्र और समुदाय का सम्बन्ध जानना आवश्यक है। राष्ट्र और समुदाय का भेद अधिकार क्षेत्रों से स्पष्ट हो सकता है जिन्हें राजनीति के दार्शनिक अपने-अपने विचारों में बताते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार समुदाय सरकार के ढंग तथा रूप या सदस्यों को बदल सकते हैं। समुदाय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। राष्ट्र अपने राज्य को लेकर किसी राज्य से पृथक होने की मांग रख सकता है। वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की मांग कर सकते हैं।

जो लोग सरकार की शक्ति को अपने हाथ में लेकर रखते हैं वो अधिक दमनकारी नहीं बन पाते क्योंकि प्रजातंत्र में क्रांति या उपद्रव हो सकता है। अतः उन सभी समुदायों को क्रांति का अधिकार होना चाहिए जो शासित व शोषित है।

ऐसा होने से लोग निरंकुश नहीं हो पाते । कुछ लोगों का मानना है कि जिन लोगों को शताब्दियों से सताया गया हो वह पृथक रहकर अपने अधिकारों का भली- भांति प्रयोग कर सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार कोई भी राजनैतिक विचारक यह नहीं बता पाता कि: समुदाय का अधिकार क्रांति तक और राष्ट्र का अधिकार पृथकता तक ही क्यों सीमित होना चाहिए?" डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में इस सीमा या अधिकार विभाजन का मुख्य कारण अंतिम उद्देश्य के प्रश्नों से सम्बन्धित है। एक राज्य में छोटे-छोटे समुदाय होते हैं या छोटे-छोटे राष्ट्र होते हैं, उस राज्य में जिसमें अनेक समुदाय होते हैं, एक समुदाय दूसरे के विरुद्ध हो सकता है।¹⁵ डा. अम्बेडकर ने कहा है "किसी समुदाय का अधिकार क्रांति तक सीमित है

क्योंकि वह उसी से सन्तुष्ट हो जाता है। समुदाय चाहता है कि सरकार समय-समय पर परिवर्तित होती रहे। इसका संघर्ष अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता।”

एक राष्ट्र का किसी राज्य में अलग अस्तित्व नहीं होता। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ एक समुदाय चाहे दूसरे समुदायों से भिन्न हो या उनमें आपसी विरोध भी हो, लेकिन जहां तक अंतिम उद्देश्य का प्रश्न है, वह सबके साथ है। उसमें पृथकता की भावना नहीं होती।”

डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि राष्ट्र उन लोगों का समूह होता है जो आमतौर पर आवश्यक रूप से नहीं, एक ही देश में रहते हैं और सामान्य कानूनों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं आदि से सम्बन्धित होते हैं। वे राष्ट्र और समुदाय को दो पृथक-पृथक संस्थाएं मानते हैं। इसलिए इन दोनों पदों की परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं—

“वे लोग जो मतभेद होने के बावजूद भी अपने लिए और अपने विरोधियों के लिए सामान्य उद्देश्य स्वीकार करते हैं एक समुदाय कहे जाते हैं लेकिन वे लोग जो एक दूसरे से भिन्न ही नहीं वरन् अपने-अपने अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं। राष्ट्र होते हैं।”

भाषावाद और राष्ट्रवाद

डॉ. अम्बेडकर को भारत की सांस्कृतिक एकता में अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा भारत की एकता इतनी प्राचीन है कि जितनी की प्रकृति। शताब्दियों पहले से सांस्कृतिक,

राजनैतिक, आर्थिक, कानूनी एवं शासकीय संस्थाएं समरूपता के आधार पर कार्य कर रही है।

अतः भारत की मौलिक एकता, यदि आधारभूत तत्व नहीं, तो प्रारम्भिक तत्व अवश्य है।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते हैं कि किसी भी देश में अनेक भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति से राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रवाद की भावनाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। संसार में ऐसे देश हैं— जैसे कनाडा, स्विट्जरलैण्ड और साउथ अफ्रीका जहां बहुत भाषाएं हैं, हालांकि राष्ट्रवाद की भावनाओं में किसी तरह की कमी नहीं है। वहां भाषावाद की कोई समस्या नहीं है लेकिन राजकीय कार्य चलाने के लिए संसार में सभी देशों में “एक भाषा, एक राज्य” का सिद्धान्त भी माना जाता है यह एक सामान्य नियम है कि भाषा के द्वारा संस्कृति सुरक्षित रखी जाती है यदि सब भारतीय लोग एक होना चाहते हैं तो उन सबका कर्तव्य है कि वे हिन्दी भाषा को सामान्य भाषा बनाए।¹⁶

डॉ. अम्बेडकर पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे। भारत की एकता में उन्हें अटूट आस्था थी और उन्होंने भाषा की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान हिन्दी को अपनाने में ही बताया। उन्होंने स्वयं कहा: “कोई भी भारतीय जो इस बात को स्वीकार नहीं करता वह वास्तविक रूप से भारतीय कहने का अधिकार नहीं रखता।

डॉ. अम्बेडकर भाषा के संदर्भ में लोगों में बाते कहना चाहते थे, एकता और एकत्व की भावना लोगों में बूढ़े और राष्ट्रवाद की जड़ें दृढ़ हो। जब तक राजकीय कामकाजों के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तब तक आपसी बैर—भाव कम नहीं होंगे।

विभिन्न भाषाओं को राज्य भाषा बनाना राष्ट्रीय एकता के भाव को कम करना है। हालांकि डॉ. अम्बेडकर की मातृभाषा मराठी है और उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका इंग्लैण्ड और जर्मनी में हुई थी। वे इंग्लिश भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे फिर भी हिन्दी के समर्थक थे।

राष्ट्रवाद और साम्प्रदायिकता—

डॉ. अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। वह जातिवाद व साम्प्रदायिकता को हीन मनोवृत्ति मानते थे। इससे राष्ट्रीयता की जड़ें कमजोर होती है। वह साम्प्रदायिकता को गुटबंदी की भावना से परिभाषित करते थे, जिसका आधार संकुचित हित या हीन धार्मिक कट्टरता है। साम्प्रदायिकता समाज विरोधी क्रिया है। जहां लोग अपने हितों की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और अन्य लोगों की पूर्ति का ध्यान नहीं रखते वहां साम्प्रदायिकता का जन्म होने लगता है।

साम्प्रदायिकता में विश्वास करने वाली जातियां व धर्म आपस में घृणा एवं बैर की भावनाएं उत्पन्न कर लेते हैं। जब तक भय एवं शत्रुता का वातावरण बना रहेगा तब तक सामाजिक प्रगति एवं राजनैतिक दृढ़ता नहीं हो सकती। उन्होंने सदैव पृथक्तावाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने पर अधिक बल दिया है। वे कहते थे कि सभी समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी क्रियाओं पर रोक लगा देनी चाहिए। साम्प्रदायिकता बहुत ही गम्भीर बीमारी है जो भाइचारे की भावना को नष्ट कर देती है। इससे देश का नैतिक हास होने लगता है।

जातिवाद राष्ट्र की जड़ों को खोखला बनाता है। जातिवाद ने भारत को सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से बहुत कमजोर बनाया है क्योंकि इससे लोगों में विभाजन व पृथकता की भावनाएं फैलती है। जातिवाद से ऊंच नीच की भावनाएं बढ़ती है। निर्धन व साधनहीन के लिए कोई दया नहीं है। जाति एक व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है।¹⁷

इस प्रकार यदि जातियता पर आधारित साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीय भक्तिवाद भारतीय समाज से समाप्त नहीं होता तो भयंकर परिणाम हमारे समक्ष आ सकते हैं। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधक है। स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व के सिद्धान्त भी नामों तक ही सीमित रह गए हैं। डॉ. अम्बेडकर प्रजातांत्रिक संस्थाओं एवं मूल्यों के कट्टर समर्थक थे। अतः डॉ. अम्बेडकर के राजनैतिक एवं राष्ट्रीय विचार लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम एवं भक्ति की भावनाओं का संचार करते हैं।

धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद—

डॉ. अम्बेडकर का भारतीय राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था लेकिन वे हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद या बुद्धिष्ट राष्ट्रवाद को नहीं मानते थे। वे यह भी नहीं मानते थे कि राष्ट्रवाद का सम्बन्ध केवल बहुसंख्यक लोगों से ही है वे जो कुछ कहते हैं वहीं राष्ट्रवाद हैं। भारत में बहुसंख्यक लोगों का शासन है वे अपनी इच्छानुसार राष्ट्रीय भावनाओं का निर्णय करते हैं बहुसंख्यक लोगों द्वारा राजनैतिक या सरकारी शक्ति का एकाधिकार कर लेना राष्ट्रवाद कहा जाता है।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय जन जीवन के लिए, धर्म को आवश्यक बताया। धर्म से सामान्य संस्कृति का विकास होता है विद्वान डॉक्टरों का मानना है कि धर्म के कारण भारत की एकता छिन्न-भिन्न नहीं होनी चाहिए। भारत में बहुत धर्म के लोग रहते हैं वे एक दूसरे को सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखें व प्रेमपूर्वक रहे इसके लिए धर्मनिरपेक्षता महत्त्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी धार्मिक विश्वास को थोपेगा नहीं।¹⁸

धर्मनिरपेक्षता की नीति व धार्मिक आस्था में कोई विरोध नहीं है। डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता उसका एक मानसिक ढांचा होता है जिसे विचार रूपी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। धर्म से मनुष्य में आशा का संचार होता है और मानव को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है डॉ. अम्बेडकर का मानना है कि धर्म एकता की स्थापना का प्रभावशील माध्यम होना चाहिए, जिससे मानवीय समाज की दृढ़ता बढ़े।

भारत राष्ट्र में सभी धर्म समान है। धर्म के द्वारा अज्ञानता या निर्धनता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। सभी धर्मों में सह-अस्तित्व तथा सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए।

राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति—

देशभक्ति और राष्ट्रवाद दो भिन्न किन्तु एक दूसरे से सम्बन्धित है। ये एक ऐसी भावना है, जिसका सीधा सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्रीय समाज की परम्पराओं तथा उपलब्धियों से है। उसी प्रकार जिस प्रकार देश भक्ति का सम्बन्ध अपनी जन्मभूमि तथा उसकी भौतिक विशेषताओं से

है। राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति दोनों का सम्बन्ध निःसन्देह मानव समाज से है। भारत में राष्ट्रवादी या देशभक्त वे हैं जो अपने ही साथियों, मनुष्य से निम्न कोटि का स्तर पाए हुए देखते हैं। राष्ट्रवादी या देशभक्त जानता है कि बिना कारण स्त्री-पुरुषों को अधिकार नहीं दिए गए फिर भी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ही बुराइयां मनुष्य और समाज को भ्रष्ट करती हैं।

उनके अनुसार राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सम्बन्ध प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता से होना चाहिए। उन्होंने उन सभी विघटनकारी, कट्टरपंथी, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी तथा विनाशकारी तत्वों का विरोध किया जो भारतीय समाज में पाए जाते हैं। उन्होंने भी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति पर आधारित संस्थाओं का समर्थन न करें। उन्होंने भ्रातृत्व का समर्थन करने हेतु कहा कि भ्रातृत्व से प्रेम व भाईचारे की भावना बढ़ती है। उनके राष्ट्रवाद और देशभक्ति का दृष्टिकोण आर्थिक समानता, राजनैतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एकता तथा सामाजिक दृढ़ता पर आधारित है, जो लोग शोषित हैं तथा जिनके साथ अन्याय होता है उनको ऊंचा उठाना, उनकी आर्थिक प्रगति में सहायता करना, सच्चे, देशभक्तों और राष्ट्रवादियों का कार्य है।

राष्ट्रवाद का बौद्धिक आधार—

डॉ. अम्बेडकर की अपने देश की भूमि के प्रति अटूट आस्था थी। उनके अनुसार, राष्ट्रवाद कोई प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है। यह वह भावना है, जिसे व्यक्ति जीवन में ही प्रेम और

घृणा के रूप में प्राप्त करता है, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों के घृणा की दृष्टि से देखें। डॉ. अम्बेडकर ने कभी हिंसात्मक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सदैव बुद्धि और प्रेम से काम लिया।

डॉ. अम्बेडकर ने निरर्थक धार्मिक विचारों, अन्ध विश्वासों, पारलौकिक आकर्षणों तथा काल्पनिक चिंतन से अपने तथा अपने अनुयायियों को दूर रखा। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि लोगों को वर्तमान व भूतकाल दोनों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने केवल उन्ही मूल्यों का समर्थन किया जो आज उपयुक्त है। डॉ. अम्बेडकर की राष्ट्रीय भावनाओं का आधार भौतिक है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि मानव समाज का ठीक तरह विकास, सहयोग तथा प्रेम की भावना से हो सकता है लेकिन जहां लड़ाई-झगड़ा, अन्याय तथा दमन है वहां सामाजिक समृद्धि का होना कठिन है। डॉ. अम्बेडकर ने परतंत्र देश की स्वतंत्रता पर ही बल नहीं दिया बल्कि वह स्वतंत्र देश में रहने वाले परतंत्र वर्गों को भी स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। ऐसा करने से मानव संघर्ष, सामाजिक वाद-विवाद और मानसिक तनाव कम होंगे। उन्होंने राष्ट्रवाद एवं अन्तर्राष्ट्रवाद में सहयोग की भावना का होना आवश्यक बताया है।

भारत के निर्धन व अछूत जातियों की संख्या बहुत है। उनके अधिकारों के लिए डॉ. अम्बेडकर संघर्ष किया। उनकी राष्ट्रवादी नीति के गम्भीर व महान उद्देश्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रवाद को दृढ़ बनाने के लिए वैधानिक

विधियों पर बल दिया। डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रवाद का सच्चा आम जनता को बताया है। लोगों में एकता के साथ ही निर्भिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उन्होंने हिन्दी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अतः डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय नव राष्ट्र के निर्माण में जीवन के महान् एवं मौलिक उद्देश्यों को ही सामने रखा। राजनैतिक खिलवाड़, राष्ट्रवाद का सच्चा आधार नहीं है, सच्चा आधार इस देश की आम जनता है। सामान्य समृद्धि के बिना राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र की जड़े मजबूत नहीं बन सकती। लोगों में एकता तथा विचार समन्वयता के द्वारा ही एक निर्भिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक चिन्तन

डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व में वैज्ञानिक मस्तिष्क और हृदय में मानववादी विचार थे। वह वैज्ञानिक एवं मानववादी मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उनके सामाजिक चिन्तन में एक और वर्णवाद जाति-प्रथा, अस्पृश्यता, असमानता और अन्याय के प्रति विद्रोह मिलता है, तो दूसरी ओर समाज पुनर्रचना के लिए सकारात्मक तत्व भी सन्निहित हैं। उनके सामाजिक विचार कुछ बातों को निषेध करते हैं, तो कुछ सृजनात्मक पक्षों का समर्थन भी करते हैं, ताकि नवीन व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सकें। डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज, विशेषकर हिन्दू समाज व्यवस्था में, केवल कुछ सुधारों तक सीमित रहना नहीं चाहते थे, बल्कि उसमें वह मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में थे।

डॉ. अम्बेडकर ने यह भी नहीं माना कि वर्ण-व्यवस्था का आधार श्रम विभाजन है, क्योंकि इसमें न केवल कृत्रिम श्रम-विभाजन मिलता है, क्योंकि इसमें न केवल कृत्रिम श्रम-विभाजन मिलता है, अपितु श्रमिकों का भी स्थायी विभाजन हो जाता है इसके अन्तर्गत श्रम तथा व्यवसाय के अनुसार हिन्दूओं में भेद-भाव, ऊंच-नीच की भावनाएं पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जैसाकि डॉ. अम्बेडकर ने कहा, वर्ण-व्यवस्था में श्रम विभाजन व्यक्ति की स्वेच्छा एवं स्वाभाविक गुणों पर आधारित नहीं है। श्रम-विभाजन का व्यक्ति की क्षमता तथा योग्यता देखे बिना कोई मूल्य नहीं है। साथ ही, वर्ण-व्यवस्था में व्यवसाय का निर्धारण कर्म एवं क्षमता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जन्म के आधार पर होता है, जो व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रगति और कार्य-कुशलता के लिए हानिकारक है।¹⁹

डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण-व्यवस्था का खण्डन करते हुए यह कहा कि वर्ण-व्यवस्था में श्रम-विभाजन व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पसंद पर आधारित नहीं है। इसका मूलाधार व्यक्ति की योग्यता नहीं है, बल्कि उसके पूर्व जन्म के कर्म माने गये हैं। यह जन्माधारित है और अपने पूर्वजों के धन्यों के अनुसरण पर ही बल देती है। अतः उस श्रम-विभाजन और उसके अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के करने में कोई क्षमता और कुशलता नहीं आ सकती, जिनमें न मनुष्य का मन लगता है और न ही उसकी बुद्धि ही चाहती है।²⁰

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, वर्ण-व्यवस्था अथवा जाति-प्रथा ने "जन-चेतना को नष्ट कर दिया है। उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति-प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है।"²¹ जाति-प्रथा अथवा वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन का सार निम्नलिखित है-

1. "जाति-प्रथा ने हिन्दुओं को बर्बाद किया है।"
2. "हिन्दू समाज को चातुर्वर्ण्य के आधार पर पुनर्गठित करना असम्भव है, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था रिसते हुए एक बर्तन की तरह है और उस आदमी की तरह है, जो नाक की नौक पर दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम है तथा इसमें जाति-व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती।"
3. "चातुर्वर्ण्य के आधार पर हिन्दू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्नकोटि का बनाती है और अस्त्र धारण करने से वंचित कर, उन्हें दुर्बल बनाती है।"
4. "हिन्दू समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्त को मान्यता दी जाए।"
5. "उक्त लक्ष्य को पाने के लिए, जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए।"

6. "जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है, जब शास्त्रों की दिव्य-सत्ता को अलग कर दिया जाए।"²²

शोषितों की स्वतंत्रता—

डॉ. अम्बेडकर शोषितों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। कुछ विचारक मानते थे कि जब किसी देश को विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिलती है तो वहां के लोग भी स्वतंत्र हो जाते हैं।²³

डॉ. अम्बेडकर इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि बहुत से लोग उन देशों में दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो स्वतंत्र हैं। नीग्रो लोग का उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्हें पृथक क्षेत्रों में रखा जाता है। वे सभी मानव अधिकारों से वंचित हैं। यहां तक कि नीग्रो जाति को दास समझा जाता है। गोर लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। स्पष्टतः स्वतंत्र देश में लोग स्वतंत्र भी हैं और परतंत्र भी। राष्ट्र एक शब्द अवश्य है लेकिन इसमें बहुत से वर्ग सम्मिलित हैं। "डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्र शब्द को समाज की परिधि को लेकर प्रयोग किया। उसे केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता को वास्तविक स्वरूप देना है तो उसमें रहने वाले विभिन्न वर्गों की स्वतंत्रता भी कायम रखनी चाहिए। मुख्यतः उन लोगों को जिनको, निर्धन, पतित व अछूत माना जाता है।"²⁴

इनके विचारों में राष्ट्र शब्द के अन्तर्गत कम से कम दो बातें सम्मिलित हैं। प्रथम राष्ट्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज आ जाता है अर्थात् वे सभी वर्ग जो परम्परागत रूप से उस देश में रहते आए हैं। द्वितीय किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं भी होती हैं जिनके अन्दर ये वर्ग रहते

हैं। डॉ. अम्बेडकर किसी देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र की आजादी से है जो किसी विदेशी शासन के अधीन है। उस क्षेत्र के मूल निवासी ही उसके मालिक हैं। यह भौगोलिक क्षेत्र स्थायी व निश्चित होता है।

ऐतिहासिक घटनाएं ही उसमें कोई परिवर्तन ला सकती हैं। विदेशी राज्य में उस भौगोलिक क्षेत्र की आजादी प्राप्त करने का अर्थ यही नहीं है कि वहां के रहने वाले सभी वर्ग एक दूसरे की दासता से मुक्त हो जाते हैं। उस भौगोलिक क्षेत्र में भी अनेक ऐसी जातियां हो सकती हैं जिनको पशुओं से निम्न समझा जाता है। ऐसे लोगों को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी अनेक जातियों के साथ दासों जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें उनके अधिकार व सम्मान नहीं दिए जाते हैं। जब इन लोगों को शोषण से छुटकारा मिल जाएगा तब ही ये देश स्वतंत्र माना जाएगा। पीड़ित लोग स्वतंत्र तो हैं लेकिन स्वयं के लिए नहीं क्योंकि वे जमींदारों तथा गांव के शक्तिशाली लोगों की कृपा पर निर्भर रहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार किसी देश की स्वतंत्रता और वहां के निवासियों की स्वतंत्रता में भेद किया जाता है। किसी देश में रहने वालों की स्वतंत्रता के बिना वहां की आजादी अधूरी है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम हो गया कि वे देश की आजादी के विरुद्ध हैं। वस्तुतः डॉ. अम्बेडकर देश की स्वतंत्रता और पीड़ितों की आजादी के सच्चे हिमायती थे। आज भी यह कहना ठीक होगा कि यदि यहां के पीड़ित व शोषित वर्गों को अन्याय तथा आर्थिक व सामाजिक मुसीबतों से छुटकारा दिलाएं। उनके सथ मानवीय व्यवहार करें।

देश की एकता—

डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता के साथ-साथ देश की एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा “मुझे इस देश के भावी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास के ढांचे के प्रति किंचित भी सन्देह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज हम राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं। हम पृथक-पृथक खेमों में हैं, और शायद में भी एक पृथक खेमों में हूँ। इतना सब होते हुए भी मुझे विश्वास है कि समय और परिस्थितियों के आने पर संसार में कोई भी इस देश को एक बनने से नहीं रोक सका।²⁵

डॉ. अम्बेडकर अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने केवल सैद्धान्तिक एकता पर ही नहीं बल्कि व्यावहारिक एकता पर भी बल दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास का जो अध्ययन किया उसका मूल्यात्मक सारांश था। उन्होंने देखा की प्राचीन भारत में मौलिक एकता थी हालांकि वह हिन्दू समाज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि हिन्दू जातिवाद ने उस नम्रता, स्वतंत्रता एवं समानता का अंत कर दिया, जिसने वैदिक काल को सुशोभित किया था।²⁶

डॉ. अम्बेडकर का सदैव यही उद्देश्य था कि लोगों को एकत्रित कैसे रखा जाए। वे ये सोचते थे कि विभिन्न मत वाले लोगों को एकजुट कैसे किया जाए तथा सब लोगों को एक करके सामान्य निर्णय कैसे लिया जाए ताकि सहयोग व सद्भावना के साथ उस मार्ग पर चल सके जो एकता की ओर ले जा सकता है।²⁷

डॉ. अम्बेडकर सदा ही दमनकारी, अन्यायपूर्ण तथा विघटनकारी तत्वों की आलोचना करते थे। एक बार उन्होंने लिखा कि बहुसंख्यक लोगों का यह महान कार्य होगा यदि वे भारत में रहने वाले सभी वर्गों को एकता में लाने का प्रयास करें। उनका मानना था कि हमें अपने विरोधियों को साथ लेकर चलना होगा ताकि वे भी उस मार्ग पर चले जो हमें एकता की ओर ले जाता है।²⁸

डॉ. अम्बेडकर लोगों में आत्मिक एकता देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि स्थायी एकता स्थापित करनी है तो भाईचारे पर आधारित एकता होनी चाहिए। अर्थात् लोगों को स्वयं को दूसरों के साथ एक परिवार के रूप में रहना व समझना चाहिए।²⁹

उन्होंने कहा कि भारत में केवल राजनीतिक एकता ही नहीं अपितु हृदय में एकत्व की भावना होनी चाहिए। अन्य शब्दों में सामाजिक एकता। यह उन लोगों की एकता के समान है जो बिना मित्र बने ही एक दूसरे के साथी बन जाते हैं।³⁰

डॉ. अम्बेडकर ने आध्यात्मिक एकता पर ही बल दिया। उनके स्वतंत्रता आन्दोलन का क्षेत्र विस्तृत था। डॉ. अम्बेडकर भारतीय जनता की शांतिप्रियता एवं दृढ़ता, अथाह धैर्य और लगन, सादगी एवं सद्भावना के ईमानदार प्रतिनिधि थे।

आत्म निर्णय का सिद्धान्त—

ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्म निर्णय का सिद्धान्त बहुत प्राचीन है लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से यह सिद्धान्त बहुत ही आधुनिक प्रतीत होता है।

आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के दो अर्थ होते हैं। 19वीं शताब्दी में इस सिद्धान्त का अर्थ था “ लोगों की इच्छा के अनुसार किसी सरकार के रूप की स्थापना करने का अधिकार।” लेकिन आज इसका अर्थ है विदेशी शासन या राज्य से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, चाहे सरकार का रूप कुछ भी हो।

डॉ. अम्बेडकर ने इस सिद्धान्त में कुछ कठिनाइयां बताई हैं। सर्वप्रथम “आत्मनिर्णय लोगों के द्वारा होना चाहिए। आत्म निर्णय की आवाज किसी देश के वास्तविक निवासियों द्वारा की जानी चाहिए न कि व्यक्ति विशेष या बाह्य शक्तियों द्वारा इस सिद्धान्त में दूसरी कठिनाई उन लोगों की स्थिति, रीति रिवाज आदि से सम्बन्धित है। आत्म निर्णय सदैव किसी राष्ट्र द्वारा ही किया जाना चाहिए। हालांकि इस सिद्धान्त को सार्वभौमिक रूप प्राप्त नहीं हुआ है।”

तीसरी कठिनाई आत्म निर्णय के विषय की है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार “यदि कोई राष्ट्र आसानी से पृथक होने वाले क्षेत्र में है तो अन्य बातों के समान होते हुए क्षेत्रीय स्वतंत्रता का विषय बन सकता है लेकिन जहां विभिन्न राष्ट्रीयताएं इतनी मिश्रित हैं कि उनके द्वारा घेरा हुआ स्थान सरलता से पृथक नहीं हो सकता है, तो जो कुछ भी उन्हें दिया जा सकता है वह सांस्कृतिक स्वतंत्रता ही हो सकती है।”

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार आत्म निर्णय, भाषा, धर्म, क्षेत्र तथा अन्य बातों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। आत्म निर्णय की सीमाओं को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि कश्मीर में

आत्म निर्णय का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि कश्मीरी लोग एक राष्ट्र नहीं है और साथ-साथ बाह्य शक्तियां ऐसा चाहती है, न कि वहां के वास्तविक निवासी।

व्यक्तिपूजा के विरुद्ध—

डॉ. अम्बेडकर प्रजातंत्र को व्यावहारिक रूप से देखते हैं। हालांकि प्रजातंत्र में होने वाले भीड़-भाड़ पुष्पमालाओं से स्वागत आदि को वे नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे व्यक्ति पूजा की गन्ध आती है। वे एकान्तता के प्रेमी थे और शांतिपूर्ण वातावरण चाहते थे। वे जितने ही महान थे उनकी उतनी ही जिम्मेदारियां थीं। उनका जीवन बहुत व्यस्त था।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत के निर्धन, अछूता एवं शोषितों की हृदय से सेवा की। देश के राजनैतिक क्षेत्र में, उन्होंने व्यक्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा यदि आप व्यक्ति-पूजा के विचारों को प्रारम्भ में ही समाप्त नहीं करते तो आपके ऊपर तबाही आ सकती है। एक व्यक्ति में विश्वास करके, हम अपनी सुरक्षा तथा मुक्ति के लिए उसी में आस्था प्रदर्शित करते हैं फलतः हम परतंत्र हो जाते हैं।³¹

इसका अर्थ यह है कि हमें किसी के नेतृत्व में कार्य तो करना चाहिए, लेकिन इतना अंधा होकर नहीं कि वह अपनी स्वतंत्र बुद्धि को ही खो बैठे। अतः व्यक्ति पूजा सभी दृष्टि से हानिकारक है।

डॉ. अम्बेडकर ने पत्रकारिता की भी आलोचना की, क्योंकि उनके समय में सभी पत्रों में अंधे होकर व्यक्तियों तथा नेताओं की पूजा में आस्था प्रकट की। पत्रकार लोग अपने को

जनता का सही मार्गदर्शक नहीं मानते।³² भारतीय पत्रकारिता में आज भी यह रूप विद्यमान हैं। यह उन बातों को अधिक स्थान देती है जिनकी आवश्यकता नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर ने व्यक्ति की प्रशंसा एवं व्यक्तिपूजा में अन्तर बताते हुए कहा कि “किसी के प्रति प्रशंसा प्रकट करना, एक प्रकार की व्यक्ति पूजा तो है, लेकिन अंधे होकर उसकी आज्ञा का पालना करना बिल्कुल ही भिन्न बात है।”

किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, सत्य एवं अच्छी बात के प्रति सद्भावना तथा आदर प्रकट करने के समान है। लेकिन किसी के प्रति अंधविश्वास रखना अपनी स्वतंत्रता को खोने के बराबर है। किसी की प्रशंसा करने से अपनी बुद्धि से सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता लुप्त नहीं होती। किसी की प्रशंसा करने से राज्य को कोई हानि नहीं होती लेकिन व्यक्ति पूजा से खतरे उत्पन्न हो जाते हैं।

संदर्भ:—

1. बी.आर.अम्बेडकर : पाकिस्तान और द् पार्टेशन ऑफ इण्डिया, 1946, पृ. 207
2. बी.आर.अम्बेडकर : पाकिस्तान और द् पार्टेशन ऑफ इण्डिया, 1946, पृ. 207-208
3. बी.आर.अम्बेडकर : पाकिस्तान और द् पार्टेशन ऑफ इण्डिया, 1946, पृ. 209
4. पाकिस्तान और द् पार्टेशन ऑफ इण्डिया, पृ. 31
5. पाकिस्तान और द् पार्टेशन ऑफ इण्डिया, पृ. 13
6. सी राजगोपालचारी: अम्बेडकर रेफ्यूटेड (एक संक्षिप्त रिव्यू) 1946
7. गोलमेज परिषद: (प्रथम सत्र-12.11.1930 -9.1.1931 प्रांडीडिंग्स, पृ. 123-129)
8. वसन्त मून्न द्वारा संकलित एवं सम्पादित: डॉ. अम्बेडकर-राईटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल 11,1982, पृ.504-505
9. वसन्त मून्न द्वारा संकलित एवं सम्पादित: डॉ. अम्बेडकर-राईटिंग्स एंड स्पीचेज, वोल 11,1982, पृ. 505
10. धनंजय कीर: डॉ. अम्बेडकर-लाइफ एण्ड मिशन, 1962, पृ.327
11. धनंजय कीर: डॉ. अम्बेडकर-लाइफ एण्ड मिशन, 1962, पृ.339

12. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 20
13. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 21
14. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 21
15. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 33
16. बी.आर.अम्बेडकर: थॉट्स ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स, 1955, पृ.12
17. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पृ. 37
18. एम.वी. पायली: इण्डियाज कॉन्स्टीट्यूशन, 1963, पृ. 111
19. बी.आर.अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, (अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट, अमृतसर 1944), पृ. 19–20
20. बी.आर.अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, (अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट, अमृतसर 1944), पृ. 20–21
21. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर–सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड 1, पृ. 27
22. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर–सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड 1, पृ. 112
23. बी.आर. अम्बेडकर, व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू द अण्टचेबिल्स 1946, पृ. 203
24. बी.आर. अम्बेडकर, व्हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू द अण्टचेबिल्स 1946, पृ. 204
25. संविधान सभा (सी.ए) में दिया गया भाषण : 17.12.1946
26. एस.ए.हूसैन, इंडियन कल्चर, 1963, पृ. 6
27. दस स्पोक अम्बेडकर पृ. 97–89
28. दस स्पोक अम्बेडकर पृ. 48
29. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 48
30. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 48
31. बी.आर.अम्बेडकर : स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटिज, 1947 पृ. 52
32. बी.आर.अम्बेडकर : रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, 1943, पृ. 48–49